

Received  
7/8/14

Dy | 3741/ITcell/14  
7/8/14

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,  
दशम् वृत्त, (भवन) लो०नि०वि,  
लखनऊ

पत्रांक: 870 / 69बी०पी०विंग / 2014-15  
सेवा में,

दिनांक: 7-8-2014

अधिसासी अभियन्ता,  
आई०टी० मैनेजमेन्ट एवं प्लानिंग सेल  
लो०नि०वि०, लखनऊ।


विषय: कुर्सी क्षेत्रफल दरों को लो०नि०वि०, की वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियन्ता (भवन), के पत्रांक-781/69बी०पी०विंग/2014 दि० 30.07.2014 द्वारा भवन कार्यों की कुर्सी क्षेत्रफल दरें निर्गत की गयी है।

अनुरोध है कि कृपया उक्त कुर्सी क्षेत्रफल दरों को लो०नि०वि० की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- कुर्सी क्षेत्रफल दरें (6 पृष्ठों में)।

श्री 15/11/14  
7/8  
66

  
(अनिल कुमार जैन)  
अधीक्षण अभियन्ता  
दशम् वृत्त (भवन)  
लो०नि०वि०, लखनऊ।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र०  
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ  
(भवन वर्ग)

81-34

पत्रांक: 781 / 69बी०पी०विंग / 2014

दिनांक: 30-7-2014

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के कुर्सी क्षेत्रफल दरों (प्लिन्थ एरिया रेट्स) का निर्धारण इस कार्यालय के पत्र सं०-1647/69बी०पी०विंग/2014 दि० 01.08.2013 द्वारा किया गया था, जो दि० 01.08.2013 से प्रभावी था। विगत समय में श्रमिक एवं सामग्री आदि की दरों में वृद्धि होने एवम् विशिष्टियों में परिवर्तन होने के कारण कुर्सी क्षेत्रफल दरों में वृद्धि करने की माँग की जा रही है। इस पर विचार करने हेतु इस कार्यालय में दि० 08.07.2014, दि० 14.07.2014, दि० 15.07.2014, दि० 17.07.2014, दि० 21.07.2014 एवम् 30.07.2014 को विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं की बैठक बुलायी गयी थी। बैठक में निदेशक, योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के प्रतिनिधि, उ०प्र० समाज कल्याण निगम के प्रतिनिधि, उ०प्र० जल निगम के प्रतिनिधि एवं अधीक्षण अभियन्ता, दशम् वृत्त, भवन वृत्त, 17वें वृत्त के अतिरिक्त अनुरक्षण खण्डों के अधिशासी अभियन्तागण उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा सामग्री एवं श्रमिक दरों पर वर्तमान में मूल्यांकन करते हुए प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर कुर्सी क्षेत्रफल की दरें (संलग्न पॉच पृष्ठों में) दिये गये विवरण के अनुसार एतद्वार निर्धारित की जाती है, जो दि० 01.08.2014 से प्रभावी मानी जायेगी।

यह दरें केवल प्रारम्भिक आगणन बनाने हेतु प्रयोग की जायेगी।

संलग्नक:- प्लिन्थ एरिया दरों  
का विवरण-5 पृष्ठों में।

भवदीय

(एस०पी० सर्वेसैनो)<sup>1</sup>  
मुख्य अभियन्ता (भवन)

लो०नि०वि०, लखनऊ  
दिनांक: 30-7-14

पत्रांक: 781 / 69बी०पी०विंग / 2014

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, लो०नि० अनुभाग-5 एवं 8, उ०प्र०शासन लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता (विकास एवं विभागाध्यक्ष) लो०नि०वि०, लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/ (परि०/नियो०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता (बजट ख वर्ग) लो०नि०वि०, लखनऊ।
5. निदेशक, योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, गोमतीनगर, लखनऊ।
8. निदेशक, प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ।
9. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता समस्त क्षेत्र लो०नि०वि० .....। आपसे अनुरोध है कि कृपया आपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं को अपने स्तर से इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. अधीक्षण अभियन्ता, दशम् वृत्त/भवन वृत्त/39वें वृत्त, लो०नि०वि० लखनऊ।
11. निदेशक, रिसर्च एवं क्वालिटी प्रमोशन सेल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि० लखनऊ।
12. मुख्य वास्तुविद्, लो०नि०वि०, लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता (भवन)  
लो०नि०वि०, लखनऊ

दिनांक 01.08.2014 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरें  
(रूपये प्रति वर्गमीटर में)

क्र०सं०	विवरण	अनावासीय			आवासीय				
		उच्च अनावासीय भवन-सर्किट हाउस / निरीक्षण भवन / जिला अस्पताल / मेडिकल कालेज	मध्य अनावासीय भवन-महाविद्यालय इन्टर कालेज / हाई स्कूल / कोषागार / कार्यालय / खाद्य उर्वरक, गोदाम / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / तहसील भवन / कलेक्ट्रेट	साधारण अनावासीय भवन-प्राइमरी स्कूल / जूहलस्कूल / परिवार कल्याण केन्द्र / अन्य छोटे भवन	निम्न श्रेणी कर्मचारी हेतु आवास श्रेणी-1	साधारण आवास श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3	अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-4	उच्च अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-5	
1	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	मजिल अनुसार पहली मजिल हेतु	13250	10000	7700	11300	79.00	11900	12200	
1.2	दूसरी मजिल हेतु	12550	9500	7300	10600	10600	11250	11550	
1.3	तीसरी मजिल हेतु	13250	10000	7700	11300	11300	11900	12200	
1.4	चौथी मजिल हेतु	13850	10500	8000	11650	11650	12500	12800	
2.1	अतिरिक्त प्राविधानों के लिए सामान्य ऊंचाई 2.90मी० से ऊपर प्रत्येक 0.30 मीटर ऊंचाई के लिए	300	300	300	300	300	300	300	
2.2	सामान्य कुर्सी ऊंचाई 0.60मी० से अधिक प्रत्येक 0.30 मीटर ऊंचाई के लिए (केवल पहली मजिल के लिए)	300	300	300	300	300	300	300	
2.3	सामान्य नीव गहराई 1.20 मी० से अधिक प्रत्येक 0.30 मी० गहराई हेतु (केवल पहली मजिल के लिए)	390	390	390	390	390	390	390	

(श्रेणी चार एवं पाँच के आवासों के साथ गैरेज एवं सर्वेन्ट क्वार्टर के लिए श्रेणी-1 के लिए प्रयुक्त दरें ही अपनायी जायेगी।)

*Signature*  
अधीक्षक अभियन्ता  
दशम वृत्त (भवन)  
लो०नि०वि०, लखनऊ

*Signature*  
अधीक्षक अभियन्ता  
39वाँ वृत्त  
लो०नि०वि०, लखनऊ

*Signature*  
मुख्य अभियन्ता (भवन)  
लो०नि०वि०, लखनऊ

दिनांक 01.08.2014 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरें  
(रूपये प्रति वर्गमीटर में)

क0सं0	विवरण	अनावासीय			आवासीय				
		उच्च अनावासीय भवन-सर्किट हाउस / निरीक्षण भवन / जिला अस्पताल / मंडिकल कालेज	मध्य अनावासीय भवन-महाविद्यालय इन्टर कालेज / हाई स्कूल / कोषागार / कार्यालय / खाद्य उर्वरक, गोदाम / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र / तहसील भवन / कलेक्ट्रेट	साधारण अनावासीय भवन-प्राइमरी स्कूल / जूनिअरस्कूल / परिवार कल्याण केंद्र / बैंक / अन्य छोटे भवन / बैंक	निम्न श्रेणी कर्मचारी हेतु आवास श्रेणी-1	साधारण आवास श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3	अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-4	उच्च अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.4	बाद में कभी एक अतिरिक्त मंजिल हेतु दृढ़तर नींव बनाने के लिए (केवल अतिरिक्त क्षेत्रफल जिस पर निर्माण होना है।)	750	750	750	750	750	750	750	
3	नींव	420	420	420	420	420	420	420	
3.1	10 टन / वर्गमीटर भार वहन क्षमता से कम क्षमता वाली मिट्टी पर नींव निर्माण के लिए	420	420	420	420	420	420	420	
3.2	6.0 मीटर लम्बी अपडरसीम्ड पाइल नींव के लिए (केवल पहली मंजिल हेतु)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
3.3	प्रबलित कंक्रीट (आर0सी0सी0) राफ्ट नींव के लिए	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	
3.4	15मीटर गहराई तक पाइल नींव के लिए (केवल पहली मंजिल हेतु)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
3.5	काली मिट्टी के लिए अतिरिक्त (केवल पहली मंजिल हेतु)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
3.6	लवण युक्त मिट्टी के लिए अतिरिक्त (केवल पहली मंजिल हेतु)	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	

अधीक्षण अभियन्ता  
रघुम वृत्त (भवन)  
ल०नि०वि०, लखनऊ

अधीक्षण अभियन्ता  
39वाँ वृत्त  
ल०नि०वि०, लखनऊ

मुख्य अभियन्ता (भवन)  
ल०नि०वि०, लखनऊ

दिनांक 01.08.2014 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरें  
(रूपये प्रति वर्गमीटर में)

क्र०सं०	विवरण	अनावासीय				आवासीय				
		उच्च अनावासीय भवन-सर्किट हाउस/ निरीक्षण भवन/ जिला अस्पताल/ मेडिकल कालेज	मध्य अनावासीय भवन-महाविद्यालय इन्टर कालेज/ हाई स्कूल/ कोषागार/ कार्यालय/ खाद्य उर्वरक, गोदाम/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ तहसील भवन/ कलेक्ट्रेट	साधारण अनावासीय भवन-प्राइमरी स्कूल/ जूहाहाउस/ स्कूल/ परिवार कल्याण केन्द्र/ बैंक/ अन्य छोटे भवन/ बैंक	निम्न श्रेणी कर्मचारी हेतु आवास श्रेणी-1	साधारण आवास श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3	अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-4	उच्च अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-5		
1		3	4	5	6	7	8	9		
4	मूकम्प रोधी संरचनाओं के लिए अतिरिक्त									
4.1	जोन-II एवं जोन III हेतु									
4.2	जोन-IV हेतु	400	400	400	400	400	400	400		
4.3	जोन-V हेतु	500	500	500	500	500	500	500		
5	500 कि०ग्रा० प्रति वर्गमीटर के ऊपर 1000 कि०ग्रा० प्रति वर्गमीटर भार वहन करने के लिए दृढ़तर संरचना के लिए।	800	800	800	800	800	800	800		
6	35 वर्गमीटर से अधिक मॉड्यूल के लिए	950	950	950	950	950	950	950		
7	दीमक प्रतिरोध के लिए (केवल पहली मंजिल हेतु)	230	230	230	230	230	230	230		
8	अग्निशमन के लिए अतिरिक्त	-	-	-	-	-	-	-		
8.1	स्वचालित फायर एलार्म सिस्टम	550	550	550	550	550	550	550		
8.2	वेट राइजर सिस्टम के साथ अग्निशमन व्यवस्था	550	550	550	550	550	550	550		
8.3	शिफ्टलर सिस्टम के साथ अग्निशमन व्यवस्था	800	800	800	800	800	800	800		
9	आपरेशन थिएटर के लिए अतिरिक्त	1800	-	-	-	-	-	-		

*(Signature)*  
अधीक्षक अभियन्ता  
दरम वृत्त (भवन)  
लॉन्गिनिडि०, लखनऊ

*(Signature)*  
अधीक्षक अभियन्ता  
39वाँ वृत्त  
लॉन्गिनिडि०, लखनऊ

*(Signature)*  
मुख्य अभियन्ता (भवन)  
लॉन्गिनिडि०, लखनऊ

दिनांक 01.08.2014 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरें  
(रूपये प्रति वर्गमीटर में)

क्र.सं०	विवरण	अनावासीय				आवासीय				
		उच्च अनावासीय भवन-सर्किट हाउस / निरीक्षण भवन / जिला अस्पताल / भौतिक कालेज	मध्य अनावासीय भवन-महाविद्यालय -इन्टर कालेज / हाई स्कूल / कोषागार / कार्यालय / छात्र उदरक, गोदाम / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / तहसील भवन / कलेक्ट्रेट	साधारण अनावासीय भवन-प्राइमरी स्कूल / जूहोस्कूल / परिवार कल्याण केन्द्र / अन्य छोटे भवन / शैरक	निम्न श्रेणी कर्मचारी हेतु आवास श्रेणी-1	साधारण आवास श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3	अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-4	उच्च अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
10	अतिरिक्त सेवाएं									
10.1	आन्तरिक जल आपूर्ति एवं मल निस्सारण कार्य	4%	5%	5%	12%	12%	12%	12%		
10.2	वाह्य जलमल कार्य	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
10.3	आन्तरिक विद्युतीकरण	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%		
11	अतिरिक्त प्राविधान									
11.1	पावर वायरिंग तथा प्लग सेन्ट्रल कॉलवेल सिस्टम	4%	4%	-	-	-	-	-		
11.2	लाइट कण्डक्टर चार भौजल से अधिक	1%	-	-	-	-	-	-		
11.3	लाइट कण्डक्टर चार भौजल से अधिक	0.50%	0.50%	0.50%	-	-	-	-		
12	प्रचलित कांफ्रीट (आर0सी0सी0) स्ट्रिय फाउण्डेशन	530	670	680	-	-	-	-		

टिप्पणी- 1. आन्तरिक स्थल सुधार के लिए मूलतः लागत की 5 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान आवश्यकतानुसार देय होगा।

2. वाह्य स्थल विकास का प्राविधान वास्तविक आवश्यकतानुसार देय होगा।
3. हार्डकाल्वर के कार्य हेतु भवन परिसर के खुले क्षेत्र हेतु रू० 70 प्रतिवर्ग मीटर की दर से प्राविधान आवश्यकतानुसार देय होगा।
4. प्रतिशत में अंकित प्राविधान भवन के मूल लागत पर आधारित होगा।
5. शासकीय / अर्द्धशासकीय भवन जिनका निर्माण 200 वर्ग मी० या इससे अधिक आकार के भूखण्ड पर किया जाना प्रस्तावित है। उनमें एकटाप देन वाटर हार्डस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा इस मद की लागत एक मुस्त व्ययस्था के अन्तर्गत वास्तविक गणना पर आधारित होगी।
6. आवासीय भवनों की आन्तरिक विद्युतीकरण की दरों में पावर वायरिंग तथा प्लग के लागत भी सम्मिलित है।
7. आकस्मिक व्यय का प्राविधान विलत विभाग की अनुमत्यानुसार देय होगा।

अधीक्षण अभियन्ता  
दरभम वृत्त (भवन)  
लॉ०नि०वि०, लखनऊ

अधीक्षण अभियन्ता  
39वाँ वृत्त  
लॉ०नि०वि०, लखनऊ

Plinth area Rate-18-07-2014Sheet-4

मुख्य अभियन्ता (भवन)  
लॉ०नि०वि०, लखनऊ

दिनांक 01.08.2014 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरें  
(रूपये प्रति वर्गमीटर में)

क0सं0	विवरण	अनावासीय			आवासीय (उच्च श्रेणी)
		उच्च अनावासीय	मध्य अनावासीय		
1	प्रचलित कांक्रिट (आर0सी0सी0) संरचना छ: मंजिल तक	3	4	5	
2	अतिरिक्त दर				
2.1	छ: मंजिल के ऊपर नीची मंजिल तक प्रत्येक मंजिल के लिए अतिरिक्त	250	250	250	
2.2	नीची मंजिल के ऊपर बाहरी मंजिल तक प्रत्येक मंजिल के लिए अतिरिक्त	360	360	360	
2.3	सामान्य ऊंचाई 2.90 मीटर से ऊपर प्रत्येक 0.3 मीटर अतिरिक्त ऊंचाई के लिए	570	570	570	
2.4	सामान्य कुर्सी ऊंचाई 0.6 मीटर से अधिक प्रत्येक 0.3 मीटर अतिरिक्त गहराई के लिए (केवल भूतल के लिए)	570	570	570	
2.5	नींव की सामान्य गहराई 1.20 मीटर से अधिक प्रत्येक 0.3 मीटर अतिरिक्त गहराई के लिए (केवल भूतल के लिए)	570	570	570	
2.6	बाद में कभी एक अतिरिक्त मंजिल हेतु दृढ़तर नींव बनाने के लिए (केवल अतिरिक्त क्षेत्रफल पर जितना निर्माण होना है।)	1550	1550	1550	
3	भूकम्प रोधी संरचनाओं के लिए (केवल जोन चार एवं पाँच हेतु)	1100	1100	1100	
4	दीमक प्रतिरोध के लिए	250	250	250	
5	अधोतल (Basement) के लिए				
5.1	सामान्य ऊंचाई 3.35 मीटर के अधोतलीय संरचना सामान्य सीलन रोधी विटुमिन अस्काल्ट उपचार के साथ	18500			
5.2	सामान्य ऊंचाई 3.35 मीटर से अधिक प्रत्येक 0.3 मी0 अतिरिक्त ऊंचाई के लिए अतिरिक्त दर	1550			
5.3	सामान्य ऊंचाई 3.35 मीटर से कम प्रत्येक 0.5 मी0 अतिरिक्त ऊंचाई के लिए कम होने वाली दर	(-)2800			

टिप्पणी- 10 टन/वर्गमीटर भार क्षमता वाली मिट्टी से कम क्षमतावाली मिट्टी में नींव के लिए/प्रचलित कांक्रिट राफ्ट फाउण्डेशन के लिए/15मी0 तक लम्बी पाइल फाउण्डेशन के लिए/35 वर्गमीटर से अधिक मौडुल के लिए/अग्निशमन के लिए/ओ0पी0डी0 आपरेशन थियेटर के लिए/500 कि0ग्रा0 प्रतिवर्ग मी0 से अधिक-1000 कि0ग्रा0 प्रति वर्गमीटर तक भार वहन करने हेतु दृढ़ता संरचनाके लिए लोड बियरिंग वाल हेतु दर्राए गये प्राक्सिानों को अपनया जाए।

अधीक्षण अभियन्ता  
दशम वृत्त (भवन)  
ल0नि0वि0, लखनऊ

अधीक्षण अभियन्ता  
39वाँ वृत्त  
ल0नि0वि0, लखनऊ

मुख्य अभियन्ता (भवन)  
ल0नि0वि0, लखनऊ